न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व अपील संख्या : Gcms No. 2022/338
दायरा तिथि : 26.08.2022
आदेश तिथि: 24-02-2023

अपीलान्ट :–
लीला पत्नी जगदीश चौधरी जाति सीरवी
निवासी सणवा जाव बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

रेस्पोडेन्टस :–

1. श्री हिम्मताराम पुत्र पकारामजी जाति सीरवी
   निवासी गुडालास तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. ग्राम पंचायत गुडालास जरिए सरपंच
   ग्राम पंचायत, पं०स० बाली जिला पाली (राजस्थान)

उपस्थिति:–

1. श्री महेन्द्र परिहार............................. अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. श्री कृष्ण सुथार.......... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से
3. श्री रताराम राठौड .... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांक : 24-02-23

अपील अन्तर्गत धारा 75राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956
(विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 697 दिनांक 06.08.2021 को ग्राम पंचायत गुडालास द्वारा अस्वीकृत किया गया)

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। अपीलान्ट ने उक्त अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व रेस्पोडेन्टस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुडालास में स्थित भूमि खसरा नंबर 1, 02, 03, 04 रकबा क्रमशः 3.92 हैक्टर बारानी दोयम, 2.22 हैक्टर चाही दोयम, 6.48 हैक्टर जाव दोयम, 0.01 हैक्टर गै.मु. बेरा, 005 हैक्टर गै.मु. सडा कुल रकबा 12.68 हैक्टर के 1/4 हिस्सा के सह खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के 1/4 हिस्सा मेंसे 304/317 हिस्सा यानि कुल भूमि मेंसे 304/1268 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के द्वारा दिनांक 20.07.2021 को अपीलान्ट ने खरिद कर खरिद शुदा भूमि का कब्जा प्राप्त किया। खरीद शुदा भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम दायर करने के लिये पटवारी हल्का गुडालास को बेचान रजिस्ट्री की फोटो प्रति दिये जाने पर पटवारी हल्का, गुडालास द्वारा विधिवत नामान्तरकरण संख्या 697 भर कर निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा को जांच के लिये प्रस्तुत किया। जिन्होने बाद जांच सही पाये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या–02 के समक्ष स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने उक्त नामान्तरकरण संख्या 697 की बिना जांच परख किये अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना आपस में भाई विवाद होने के तथ्य वर्णित करते हुये नामान्तरकरण संख्या 697 को दिनांक 06.08.2021 को खारिज कर दिया। उक्त नामान्तरकरण खारिज होने की जानकारी अपीलान्ट को प्रथम बाद दिनांक 26.07.2022 को अस्वीकृत होने के पंचायत प्रस्ताव की नकले लेने पर हुई। तथा जानकारी होते ही बिना किसी देरी के उक्त अपील प्रस्तुत की, तथा देरी को कन्डोन किये जाने के लिये धारा–5 लिमिटेशन का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या सरपंच ग्राम गुडालास का नामान्तरकरण संख्या 697 दिनांक 06.08.2021 को खारिज किये जाने का आदेश विधि विरूद्व होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार कर खरीद शुदा भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। अपील में उल्लेखित तथ्यो के समर्थन में अपीलान्ट द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 697 दिनांक 06.08.2021, ग्राम पंचायत गुडालास के दिनांक 06.08.2021 के प्रस्ताव की प्रतिलिपी, बेचान रजिस्ट्री दिनांक 20.07.2021 की फोटो प्रति पेश की गई। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण सुथार ने वकालतनामा पेश किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री रताराम राठौड द्वारा वकालतनामा प्रस्तुती के लिये अण्डर टेकिंग लिया गया परन्तु वकालतनामा अथवा जवाब पेश नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता श्री कृष्ण सुथार द्वारा भी किसी प्रकार का जवाब पेश नहीं किया गया, जिससे दिनांक 07.11.2022 को प्रार्थना पत्र धारा–05 लिमिटेशन को वकुलाय को सुनने के पश्चात् स्वीकार करते हुये पत्रावली को मूल अपील धारा 75 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 की बहस के लिये रखा गया।

पेज लगातार.......02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व अपील संख्या : Gcms No. 2022/338

अपील अन्तर्गत धारा 75राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

(विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 697 दिनांक 06.08.2021 को ग्राम पंचायत गुडालास द्वारा अस्वीकृत किया गया)

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट श्री महेन्द्र परिहार द्वारा अपील में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के वादग्रस्त भूमि में निहित 1/4 हिस्सा मेंसे 304/317 हिस्सा यानि कुल भूमि मेंसे 304/1268 हिस्सा खरिद करने तथा खरीद के बाद पटवारी हल्का, गुडालास द्वारा विधिवत् रूप से दायर नामान्तरकरण संख्या 697 को निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा द्वारा भी जांच में सही पाये जाने पर सरपंच ग्राम पंचायत, गुडालास के समक्ष स्वीकृति के लिये रखने पर सरपंच ग्राम पंचायत गुडालास द्वारा बिना किसी प्रकार की जांच किये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर दाखिल नामान्तरकरण संख्या 697 को दिनांक 06.08.2021 को विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया है। जिससे अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुये खरीद शुदा भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकृत किये जाने की दलील दी । रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता श्री कृष्ण सुथार द्वारा बहस में भूमि अपीलान्ट को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से बेचान करना स्वीकार करते हुये बेचान शुदा भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में दायर किये जाने बाबत् सहमति प्रकट की। रेस्पोडेन्ट संख्या–02 के अधिवक्ता श्री रताराम राठौड द्वारा वकील अपीलान्ट की दलीलो का स्पष्ट तौर पर खण्डन नहीं किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार तथ्य हैं कि अपीलाधीन भूमि ग्राम गुडालास के खसरा नंबर 01, 02, 03, 04 कुल खसरा–04 कुल रकबा 12.68 के रेकर्ड में दर्ज सह खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 हिमताराम का 1/4 हिस्सा निहित रहा है, पत्रावली पर उपलब्ध बेचान रजिस्ट्री दिनांक 20.07.2021 की प्रति के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 हिमताराम द्वारा अपने 1/4 हिस्सा मेंसे 304/317 हिस्सा यानि कुल भूमि मेंसे 304/1268 हिस्सा का बेचान अपीलान्ट को बेचान प्रतिफल की राशि प्राप्त करते हुये करने की पुष्टि होती है। पत्रावली पर नामान्तरकरण संख्या 697 की प्रति के अवलोकन से जाहिर हैं कि खरिद के अनुसार ही नामान्तरकरण दिनांक 04.08.2021 को पटवारी हल्का, गुडालास द्वारा भरा गया, जिसको पंचायत के प्रस्ताव संख्या 02 का हवाला देते हुये सरपंच, ग्राम पंचायत गुडालास द्वारा दिनांक 06.08. 2021 को अस्वीकृत किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रस्ताव की नकल के अनुसार आपस में भाई विवाद होना वर्णित करते हुये नामान्तरकरण संख्या 697 को अस्वीकृत किया गया।

इस प्रकार हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि पंजिबद्ध बेचान रजिस्ट्री के आधार पर पटवारी हल्का, गुडालास द्वारा नामान्तरकरण संख्या 697 सही तौर पर दाखिल किया गया, जिसको निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा द्वारा भी जांच में सही पाया, इसके बावजुद सरपंच ग्राम पंचायत, गुडालास द्वारा नामान्तरकरण संख्या 697 को विधि विरूद्व तरीके से दिनांक 06.082021 को खारिज कर दिया। विधि अनुसार पंजिबद्ध विक्रय विलेख को जब तक निरस्त नहीं किया जाता तब तक सरपंच को उक्त नामान्तरकरण अस्वीकृति के अधिकार नहीं रहते। अब चूँकि प्रस्तुत अपील में बेचानकर्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–01 के अधिवक्ता भी नामान्तरकरण स्वीकृत कराने के पक्ष में है। जिससे अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती हैं। ग्राम गुडालास के विवादास्प्रद नामान्तरकरण संख्या 697 के सबंध में सरपंच गुडालास के अस्वीकृती आदेश दिनांक 06.08.2021 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, बाली को निर्देशित किया जाता हैं कि ग्राम गुडालास में स्थित भूमि खसरा नंबर 1, 02, 03, 04 रकबा क्रमशः 3.92 हैक्टर बारानी दोयम, 2.22 हैक्टर चाही दोयम, 6.48 हैक्टर जाव दोयम, 0.01 हैक्टर गै.मु. बेरा, 005 हैक्टर गै.मु. सडा कुल रकबा 12.68 हैक्टर के 1/4 हिस्सा के सह खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के 1/4 हिस्सा मेंसे 304/317 हिस्सा यानि कुल भूमि मेंसे 304/1268 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 20.07.2021 से अपीलान्ट की खरिद शुदा भूमि का नामान्तरकरण नये सिरे दर्ज किये जाने की कार्यवाही कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावे। आदेश प्रति मय नामान्तरकरण संख्या 697 की पत्रावली पर उपलब्ध सत्यापित प्रति तहसीलदार, बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री [illegible])
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 24-02-23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner